



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक-501 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

दिनांक 04 / 08 / 2018

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-7 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक संख्या 311 / 12-1 दिनांक 21.07.2018 एवं कार्यालय भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक संख्या 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 111 / 2017 / एफ0सी0 / 823 दिनांक 19.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/11303/2015 में लगायी गयी ई0डी0एस0 क्वेरी में बिन्दु सं0 04 पार्ट-II की है, जोकि आपके स्तर से निराकरण किया जाना है बिन्दुसंख्या 03 में Part-IV & V की मांग की गयी है जो कि अन्य उच्च स्तरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। एवं शेष अन्य बिन्दु 01, 02 एवं 05 पार्ट-I में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है-

आपत्ति	निराकरण
1. Regarding point 2, instead of justification for locating the project in forest land at para D in Part I, only benefit of road is provided.	Para-D Part-I में वनभूमि का औचित्य प्रमाण पत्र संशोधन कर ऑनलाईन किया जा चुका है।
2. In response to point no. 4, SDLC certificate submitted is found undated & in VLC proceedings the name of five villages is still not uploaded except Gair village.	ऑनलाईन Part-I में SDLC certificate में दिनांक संशोधित कर एवं VLC proceedings के सभी पांच ग्राम के प्रपत्र आनलाईन किये जा चुके हैं।
3. In response to point no. 6, Part-IV & V is still not submitted.	यह आपत्ति का निराकरण नोडल कार्यालय एवं राज्य सरकार स्तर से किया जाना है किन्तु इस पत्र के साथ Part-IV & V की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।
4. In the legal status in online Part-II is shown as Civil Soyam Land only while I hard copy 0-77 ha is falling under in RF.	इस आपत्ति का निराकरण डी0एफ0ओ0 स्तर से किया जाना है।
5. Attested copy of Part-I&II is not submitted.	Part-I & II की Attested copy इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार इंगित बिंदुवार निराकरण ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं एवं आपसे अनुरोध है कि Part-II में लगायी गयी आपत्ति का निराकरण अपने स्तर से करते हुये उक्त प्रस्ताव को जनहित में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / पुरोला / तदिनांक

प्रतिलिपि- तकनीकी अधिकारी (वानिकी) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून-248001

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)